कार्यालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ।

संख्याः-वाचक/संयुक्त पुलिस आयुक्त-09/2026 |260 दिनांक- जनवरी21, 2026

निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

दिनांक 23.01.2026 को बसंत पंचमी, दिनांक 24.01.2026 को उत्तर प्रदेश दिवस, दिनांक 26.01.2026 को गणतंत्र-दिवस, दिनांक 30.01.2026 को शहीद दिवस, दिनांक 03/04.02.2026 को शब ए बारात, दिनांक 14.02.2026 को वैलेंटाइन डे, दिनांक 15.02.2026 को महाशिवरात्रि, दिनांक 18/19.02.2026 को रमजान माह प्रारम्भ, दिनांक 02/03.03.2026 को होली, दिनांक 13.03.2026 को अलविदा नमाज व दिनांक 20/21.03.2026 को ईद उल फितर आदि पर्व आयोजित होंगे; साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जायेंगी। वर्तमान में विभिन्न राजनैतिक पार्टी कार्यकर्ताओं / भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है। मैं बबलू कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ यह उचित समझता हूँ कि **धारा-163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नवीन निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ-

1- विधानभवन की परिधि एवं निम्न लिखित स्थानों व मार्गों पर ट्रैक्टर, ट्रैक्टर-ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ताँगागाड़ी तथा आग्नेयाशस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, सिलेण्डर, घातक पदार्थ, हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगाः-

- लालबत्ती चौराहा से बन्दरियाबाग चौराहे तक।
- बन्दरिया बाग चौराहे से गोल्फ क्लब चौराहा और पार्क रोड होते हुए सिविल अस्पताल चौराहे तक।
- सिविल अस्पताल चौराहा से अटल चौक चौराहा, मेफेयर तिराहा, नावेल्टी चौराहे तक।
- नावेल्टी चौराहे से आईटीएमएस चौराहा होते हुए बर्लिंग्टन चौराहा तक।
- बर्लिंग्टन चौराहे से सदर कैण्ट पुल होते हुए उदयगंज तिराहा तक।
- उदयगंज तिराहा से अब्दुल हमीद चौराहा होते हुए लाल बत्ती चौराहा तक।

उक्त परिधि में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित किये जाते हैं। इस प्रकार के वाहनों एवं वस्तुओं के प्रवेश अथवा इस परिधि में धरना प्रदर्शन किये जाने पर **धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2- राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन व सरकारी दफ्तरों के ऊपर व आसपास नो फ्लाईंग जोन की परिधि में ड्रोन से शूटिंग करना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। अन्य स्थानों पर भी पुलिस आयुक्त / संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना किसी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग/फोटोग्राफी नहीं की जायेगी।

3- लखनऊ में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन शासन द्वारा निर्धारित ईको गार्डेन स्थल को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर बिना अनुमति आयोजित करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4- कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ / संयुक्त पुलिस आयुक्त / पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, न तो पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। शासन द्वारा अनुमन्य कार्यक्रमों मे यथाआवश्यकता इस नियम को शिथिल किया जा सकता है।

5- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी मजलिस तथा मैचों के आयोजन व मॉल/होटल/रेस्त्रां परिसर में आयोजित किये जाने वाले संगीत आदि के ऐसे कार्यक्रम जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति के बिना आयोजित नहीं किये जायेंगे।

6- किसी धार्मिक स्थल/ सार्वजनिक स्थल/ जुलूसों/ अन्य आयोजनों पर लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं इस निमित्त प्राविधानित विधिक प्राविधानों के क्रम में औद्योगिक क्षेत्र में दिन/रात्रि के समय 75/70 डेसीबल, वाणिज्यिक क्षेत्र में 65/55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्र में 55/45 डेसीबल तथा शान्त क्षेत्र में 50/40

Scanned with OKEN Scanner

डेसीबल अधिकतम ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है। इसका पूर्णतः अनुपालन आवश्यक होगा। रात्रि 22.00 बजे से 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। मन्दिर/मस्जिद/गुरूद्वारा/चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तार धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेगा । सार्वजनिक स्थानों/मार्गों पर नमाज/पूजा अर्चना/ जुलूस या अन्य प्रकार के धार्मिक आयोजन व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्त जोन से लेनी होगी।

7- कोई भी व्यक्ति लखनऊ की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (दृष्टिहीन / दिव्यांग व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे- तलवार, बरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, घातक हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। ड्यूटीरत पुलिस कर्मी/ अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य अनुमन्य व्यक्तियों पर ये प्रतिबन्ध ड्यूटी निर्वहन में लागू नहीं होंगे।

8- कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नहीं लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम व उत्तेजनात्मक भाषण नही देगा तथा मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना व ऐसी अफवाहें नहीं फैलायेगा जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचे अथवा समाज में विद्वेष की भावना जागृत हो एवं शांति भंग होने की आशंका हो। यह कृत्य दण्डनीय अपराध है।

9- कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईंट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके।

10- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन/वितरण जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो या अश्लीलता प्रचारित/प्रसारित होती हो, नहीं करेगा।

11- सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भड़काऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट, पोस्ट नही करेगा । यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित भी करेगा ।

12- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी दुकानदार न तो चाइनीज मांझे का विक्रय करेगा और न ही कोई व्यक्ति क्रय करेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे चाइनीज मांझे/तार से पंतग बाँध कर नहीं उड़ायेगा जिससे आम नागरिक को शारीरिक क्षति कारित हो या सम्पत्ति का नुकसान हो।

13- लखनऊ की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पुतला नहीं जलायेगा और न ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेगा जिससे किसी प्रकार की शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना हो।

14- लखनऊ में सभी निजी कम्पनियाँ/सेवा प्रदाता जो वितरण कर्मचारी रखते हैं, जैसे- जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट व अन्य ऑनलाइन कम्पनी जिनके द्वारा घरों पर भोजन/दवा व अन्य वस्तुओं की डिलीवरी दी जाती है, के नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे । कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ कमिश्नरेट में स्थित है वह किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये बिना मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी/किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई गम्भीर घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी/किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता/मकान मालिक के विरुद्ध भी विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी।

15- लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति को, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो, साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा । समस्त आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर बनाकर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/ प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा । साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक/प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके के बिना संचालित नहीं किया जायेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

16- परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रानिक वस्तुएं / अनुचित साधन पूर्णतः प्रतिबन्धित हैं। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अवधि में 200 गज की परिधि में अनावश्यक प्रवेश निषेध रहेगा।

17-कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 शासन व भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइन का पूर्णतया पालन कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों / प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित की स्वयं होगी।

चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है इसलिये समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश दिनांक 21.01.2026 से प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो **दिनांक 21.03.2026 तक लागू रहेगा।** इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना **भारतीय न्याय संहिता की धारा 223** व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्त व सहायक पुलिस आयुक्त के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।

आज दिनांक जनवरी 21, 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से मुद्रांकित कर जारी किया गया।

न्यायालय संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ

Bbh. 21/01/26

(बबलू कुमार)
संयुक्त पुलिस आयुक्त
कानून एवं व्यवस्था
लखनऊ।

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के जी0एस0ओ0 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2-पुलिस आयुक्त लखनऊ, को सादर सूचनार्थ।
3-आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ सादर सूचनार्थ।
4-संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, लखनऊ को कृपया सूचनार्थ।
5-जिलाधिकारी, जनपद लखनऊ, कृपया सूचनार्थ।
6-समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ।
7- मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8-मुख्य विकास अधिकारी लखनऊ।
9-नगर आयुक्त।
10-समस्त अपर पुलिस उपायुक्त लखनऊ।
11-समस्त सहायक पुलिस आयुक्त लखनऊ।
12-उप निदेशक सूचना, लखनऊ को 15 अतिरिक्त प्रतियों सहित प्रसारण एवं प्रकाशन हेतु।
13-नगर नियंत्रण कक्ष/जिला नियंत्रण कक्ष रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ।
14-प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ।
15-समस्त थाना प्रभारी जनपद लखनऊ।
16-गोपनीय सहायक, पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त (का0व्य0) लखनऊ।
17- अध्यक्ष उद्योग व्यापार मण्डल उ0प्र0 लखनऊ।
18- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को गजट में प्रकाशन हेतु।

21/1/26

Scanned with OKEN Scanner